

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC),
सचिवालय परिसर, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 22 जून, 2018

विषय:- जनपदों में नियुक्त पुलिस कार्मिकों के साथ ग्रामीणों/ग्राम प्रहरियों/चौकीदारों आदि को आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिरीक्षक, एस.डी.आर.एफ. उत्तराखण्ड के पत्रांक-डीजी-एसडीआरएफ-13/2017, दिनांक 13.07.2017 एवं 21.03.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश संख्या-1886/XVIII-(1)/17-15(44)/2016, दिनांक 03.10.2016 द्वारा राज्य के छः जनपदों यथा-उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा पिथौरागढ़ के 06-06 ब्लॉकों में तथा जनपद रुद्रप्रयाग एवं बागेश्वर के 03-03 ब्लॉकों में पुलिस कार्मिकों के साथ-साथ ग्राम प्रधान/ग्रामीणों/ग्राम प्रहरियों/चौकीदारों आदि को आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृत धनराशि ₹ 70.00 लाख में से व्यय के उपरान्त अवशेष धनराशि ₹ 30,29,966.00 (रु० तीस लाख उनतीस हजार नौ सौ छियासठ मात्र) को उक्त प्रयोजनार्थ व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि ₹ 30,29,966.00 (रु० तीस लाख उनतीस हजार नौ सौ छियासठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद पौड़ी, देहरादून, नैनीताल एवं अल्मोडा के कुल 14 ब्लॉक मुख्यालयों में प्रश्नगत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1886/XVIII-(1)/17-15(44)/2016, दिनांक 03.10.2016 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति से पूर्व उक्त धनराशि का उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अ.शा.पत्र संख्या-61 मतदेय/XXVII(5)/2018-19, दिनांक 18 जून, 2018 में दी गई सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या- १७५(1)/XVIII-(2)/18-15(44)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
- 6- पुलिस महानिरीक्षक, एस.डी.आर.एफ., उत्तराखण्ड।
- 7- सेनानायक, एस.डी.आर.एफ. वाहिनी, जौलीग्रान्ट, देहरादून।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 9- निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 10- निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- वित्त अनुभाग-5
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(राजेन्द्र सिंह पतियाल)

उप सचिव